

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र।
पत्रांक- 727 /ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक-18-9-2020.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषय- ओबरा सी बदायूँ ट्रांसमिशन लि0 द्वारा प्रस्तावित 400 के0वी0 डबल सर्किट जौनपुर ओबरा पारेषण लाईन के निर्माण में मीरजापुर वन प्रभाग में प्रभावित 46.778हे0 आरक्षित वन व 0.101हे0 संरक्षित वनभूमि (46.879हे0 वनभूमि) के गैर वानिकी प्रयोग तथा प्रभावित 364 वृक्षों एवं 494 बांस कोठी में से 238 वृक्षों एवं 290 बांस कोठी के पातन, ओबरा वन प्रभाग में प्रभावित 2.434हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग, जौनपुर वन प्रभाग की 0.518हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं प्रभावित 28 वृक्षों में से 16 वृक्षों के पातन, वाराणसी वन प्रभाग में प्रभावित 0.265हे0 संरक्षित वन के गैर वानिकी प्रयोग एवं प्रभावित 03 वृक्षों के पातन की अनुमति एवं कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर में प्रभावित 39.536हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग तथा प्रभावित 585 वृक्षों एवं 17 बांस कोठी में से 310 वृक्षों व 09 बांस कोठी का पातन अर्थात् कुल 88.748हे0 आरक्षित एवं 0.884हे0 संरक्षित कुल योग-89.632 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं प्रभावित 980 वृक्षों व 511 कोठी में से कुल 567वृक्षों/पौधों एवं 299 बांस कोठी के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य क्षेत्र), केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ पत्र संख्या-8बी/यू0पी0/04/90/2020/एफ0सी0/875 दिनांक-08.09.2020 तथा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ का पत्र संख्या-557/11-सी दिनांक-10.09.2020.

महोदय,

अवगत कराना है कि विषयक प्रकरण से सम्बन्धित प्रस्ताव उचित माध्यम से भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य क्षेत्र), केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ के कार्यालय में प्रेषित किया गया, भारत सरकार के कार्यालय द्वारा प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त अपने कार्यालय के पत्र संख्या-8बी/यू0पी0/04/90/2020/एफ0सी0/875 दिनांक-08.09.2020 द्वारा आपत्ति का बिन्दुवार निराकरण निम्नानुसार है:-

SL. No.	Query raised by MoEF	Reply
1	2	3
1	NOC of NHAI & Railways needs to be submitted.	इस बिन्दु की सूचना ओबरा वन प्रभाग से सम्बन्धित नहीं है।
2	NBWL clearance needs to be provided.	इस बिन्दु की सूचना ओबरा वन प्रभाग से सम्बन्धित नहीं है।
3	The Net suitable area for plantation as per GIS-DSS analysis is 176.0 ha., which is less than actual required CA land area.	इस बिन्दु की सूचना ओबरा वन प्रभाग से सम्बन्धित नहीं है।

1	2	3
4	As per provided kml file of CA land, small patches of agriculture field have been observed in Obra & Kaimur division, this needs to be clarified.	विषयक प्रकरण में ओबरा वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित होने वाले 2.434हे० वन भूमि के दूगने अवन्त वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षरोपण हेतु ग्राम-कोटा(पटवाटोला) में 5.00हे० क्षेत्र चानित करते हुए उस क्षेत्र का के०एम०एल० फाईल प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है, जिसके कुछ क्षेत्र पर स्थनीय ग्रामीणों द्वारा जोत, कोड़ किया गया था, जिसे खाली करा लिया गया है। वर्तमान में क्षतिपूरक वृक्षरोपण हेतु चयनित 5.00हे० क्षेत्र क्षतिपूरक वृक्षरोपण हेतु उपयुक्त है।
5	As per Google Earth Imageries in CA and polygon of Varanasi division, plantation activity has been observed, this needs to be clarified.	इस बिन्दु की सूचना ओबरा वन प्रभाग से सम्बन्धित नहीं है।

भूबदीय

(प्रखर मिश्रा)

प्रभागीय वनाधिकारी

ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र।